राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 144 / 2018 जीसीएमएस नम्बर :– 2018 / 00566

1. ओमप्रकाश पुत्र हेतराम जाति खाति निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0

..........**वादी**

बनाम

1. लीलाराम पुत्र रामकुमार जाति नाई निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
2. रामेश्वर पुत्र हेतराम जाति खाति निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
3. शीलो पत्नी हरिराम जाति खाति निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
4. अरविन्द पुत्र हरिराम जाति खाती निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
5. सन्जू
6. मन्जू पुत्रीयान हरिराम जाति खाति निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0।

..........**प्रतिवादीगण**

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा– खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय :–

दिनांक 5.12.24

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम ग्राम बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 के जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता स0 449 के ख0न0 1019 रकबा 2.36 है0 में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 के पति व प्रतिवादी संख्या 4 तथा 5 के पिता दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि खातेदार हरिराम फौत हो चुका है। जिसके विभिन्न वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 दर्ज है।
3. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी का हिस्सा 1 / 3 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 0.29 है0, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 0.4967 है0, दर्ज हिस्सा 1 / 3 में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का हिस्सा 1 / 3 दर्ज रिकार्ड है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 के जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता स0 449 के ख0 न0 1019 रकबा 2.36 है0 में वादी का हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1/3 भाग का खाता विभाजन मौके व कब्जे अनुसार कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 10.10.2022 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.10.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 156 दिनांक 22.05.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1126 दिनांक 22.05.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम बड़बर स्थित भूमि हाल खाता संख्या 498 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–ःआदेशः–

'' न्यायालय वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 के जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 498 के ख0न0 1019 रकबा 2.36 है0 में वादी का का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 5.12.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– पंकज शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:– 144/2018 **जीसीएमएस वाद संख्या : 2018/00566**

निर्णय दिनांक:–

ओमप्रकाश **बनाम** लीलाराम आदि

दावा– खाता विभाजन,

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से **श्री प्रविन्दर एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिकी दी जाती हैं कि –

'' न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 के जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 498 के ख0न0 1019 रकबा 2.36 है0 में वादी का का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ....5/12/2024.... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना